रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1988/फाल्गुन 19, 1909

No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 1988/PHALGUN 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1988

सा. का. नि. 335(अ) —केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 13 जुलाई, 1981 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 725 के साथ प्रकाशित महापत्तन न्यास (बोर्ड की बैठक की कार्यविधि) नियम, 1981 को संशोधित करते हुए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को जिसे कि केन्द्रीय सरकार महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इसके द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 122 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा यह सूचना दी जाती है कि राजकीय राजपत्र मे प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों को जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के सन्दर्भ में निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) ये नियम महा पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठक की कार्यविधि) संशोधन नियम, 1987 कहे जाएंगे ।

(2) ये राजकीय राजपत्र मे अन्तिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

महा पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठक की कार्यविधि) नियम, 1981 के अन्तर्गत :—

(क) नियम 1, उप नियम 3 में "टूटीकोरीन और न्यू मंगलूर" शब्दों के स्थान पर "टूटीकोरीन, न्यू मंगलूर और न्हावा शेवा" शब्द रखे जाएं ।

(ख) नियम 2, उप नियम (1) में "प्रत्येक माह में एक बार" शब्दों के स्थान पर "तीन माह मे एक बार" शब्द रखे जाएं ।

(ग) नियम 8 में "कम से कम तीन दिन पूर्व अथवा कम से कम तीन दिन न्यासियों को सूचित किया गया" शब्दों को हटा दिया जाए।

[सं. पी आर-11012/3/87-पी जी]
योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 1988

G.S.R. 335 (E) :—The following draft of certain rules further to amend the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. GSR. 725, dated the 13th July, 1981, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published as required by sub-section (2) of section 122 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft within the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 :—

(a) in rule 1, sub-rule 3, for the words "Tuticorin and New Mangalore", the words "Tuticorin, New Mangalore and Nhava-Sheva" shall be substituted ;

(b) in rule 2, sub-rule (i) for the words "once in every month", the words "once in three months" shall be substituted ;

(c) in rule 8, the words "at least three days in advance, or communicated to the trustees atleast three days" shall be omitted.

[No. PR-11012|3|87-PG]
YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988